

**मांग संख्या 07**  
**मुख्य शीर्ष 2039**

**मद क्रमांक 1**

आबकारी विभाग के आसबन प्रक्रियाओं के अनुश्रवण हेतु सीसीटीव्ही लगाने हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

आबकारी विभाग के अंतर्गत डिक्री धन का भुगतान मद में ₹ 24.006 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,00,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2040**

**मद क्रमांक 3**

वाणिज्यिक कर विभाग में जीएसटीएन लागू किए जाने हेतु राशि ₹ 493.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत डिक्री धन का भुगतान मद में ₹ 0.70 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।